



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा) / A15-43/2020

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,  
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,  
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,  
देहरादून।

- 8 FEB 2023

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : जनवरी, 2023

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-2623 दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम-2014 की धारा-36(1) के अन्तर्गत निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा अनुमोदन/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :-

| महाविद्यालय/संस्थान का नाम   | पाठ्यक्रम का नाम                | प्रवेश क्षमता<br>(कुलपति की संस्तुति के अनुसार) | शैक्षिक सत्र        |
|--|---------------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2                               | 3   | 4                   |
| श्री स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट, रानीपुर झाल, ज्वालापुर, हरिद्वार। | बी०एम०आर०आई०टी०<br>बी०एम०एल०टी० | 20<br>30  | 2020-21 एवं 2021-22 |

(1) संस्थान द्वारा Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये हैं। प्राभूति राशि के मानक पूर्ण नहीं है एवं शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु नियामक संस्था की संस्तुति संलग्न नहीं है। चूंकि परिलक्षित कमियों को पूर्ण कराने का उत्तर दायित्व विश्वविद्यालय का है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में उक्त सभी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(2) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने के उपरान्त ही स्वीकार्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

क्रमशः.....2/....

(3) विश्वविद्यालय नियामक संस्था, विश्वविद्यालय व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

**संख्या : 4068 (1)/जी०एस० (शिक्षा)/A15-43/2020 तददिनांकित।**

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, श्री स्वामी भूमानन्द कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल इन्स्टीट्यूट, रानीपुर झाल ज्वालापुर, हरिद्वार।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस० मदीरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।